न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 94/2009 (2009/00250)

1 लादू पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मृतक बजाय उसके वारिसान
- 1/1 श्रीमति रसाल देवी पत्नी लादू
- 1/2 सत्यानारायण पुत्र लादू
- 1/3 इन्द्रा पुत्री लादू
- 1/4 पप्पू पुत्र लादू
- 1/5 किस्मत पुत्री लादू
- 1/6 शान्ति पुत्र लादू
- 1/7 बजराज पुत्री लादू

2 सुखलाल पुत्र रामदयाल जाति जाट

समस्त जाति जाट निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बरजी पत्नी बजरंग।
2. बदी पुत्र बजरंग।
3. रूकमा पुत्री बजरंग।
4. मनभर पुत्री बजरंग।
5. सुमित्रा पुत्री बजरंग।
6. बालू पुत्र श्रीलाल।
7. रामदेव पुत्र हरजी।

समस्त जाति माली निवासीगण माली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी।

—— प्रतिवादीगण

9. गंगा पत्नी माधू जाति जाट
10. कान्ता पुत्री माधू जाति जाट
11. यशोदा पुत्री रामदयाल जाति जाट

निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थित:—
1. श्री अर्जुन सिंह शक्तावत —वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार — तहसीलदार केकडी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 2.9.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तार्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा नया–पुराना	किस्म
5958	8093 8094	1.95 0.46 (पुराना 14–17–10)	बारानी–2 बारानी–2

उक्त वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2024 मे रामदयाल पुत्र ओंकार जाति जाट निवासी के नाम खातेदार में दर्ज होती चली आ रही थी व मालिक व काबिज चला आ रहा था व उसके निधन के बार वादीगण व प्रतिवादी सं 5 से 7 के ...किान कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है वादग्रस्त आराजीयात को वादी के पिता ने किसी प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को रहन बेचान आदि से हस्तान्तरित नही की है और न ही आराजीयात पर उनका कब्जा काश्त रहा है वादग्रस्त आराजीयात बिना किसी आदेश व रहन बेचान आदि के राजस्व रेकार्ड संख्या 2061 से 2064 की जमाबन्दी मे राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करके प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने खसरा नंबर 8093 व प्रतिवादी संख्या 3 ने खसरा नंबर 9094 को अपने नाम इन्द्राज करवा लिया है जो कतई गलत व इन्कार है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के निरन्तर कब्जे काश्त मे चली आ रही है व काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादगण दिनांक 15.4.2009 सेवाग्रस्त आराजीयात से वादीगण व प्रोफार्मा प्रतिवादीगण को बेदखल करने की आराजीयात की रहन बेचान करने की धमकी दे रहे है वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराने व वादीगण के नाम करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इंकार हो गये व लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिससे वादीगण को वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण संख्या 9–11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर माल गुजारी कामय की जाने व अन्य अंकन को व प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने व प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग व रहन बेचान नही करने जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। **शहादत वादी** गवाह श्री सुखलाल पी.डब्ल्यू–1 ने शपथ पत्र पेश कर उनके बयान कराये गये साथ ही शपथकर्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2024, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2061–64, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64, प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–5 राजीनामा दिनांक 15.9.2009, प्रदर्श–6 मौका पर्चा पटवारी उक्त दस्तावेजात प्रदर्श किये। जिरह प्रतिवादीगण की एक्सपार्टी होने से शून्य रही। वादी अधिवक्ता द्वारा और अन्य साक्ष्य पेश नही किये जाने के निवेदन पर शहादत वादी बंद कि जाकर बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी कस्बा केकडी के खाता संख्या 5958 के खसरा संख्या 8093 व 8094 कुल रकबा 2.41हैक्टर को वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार केकडी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का नाम उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे व न किसी प्रकार से रहन बेचान, हस्तान्तरित करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. लादू पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर मृतक बजाय उसके वारिसान
   1/1. श्रीमति रसाल देवी पत्नी लादू
   1/2. सत्यानारायण पुत्र लादू
   1/3. इन्द्रा पुत्री लादू
   1/4. पप्पू पुत्र लादू
   1/5. किस्मत पुत्री लादू
   1/6. शांन्ति पुत्र लादू
   1/7. बजराज पुत्री लादू
2. सुखलाल पुत्र रामदयाल जाति जाट
   समस्त जाति जाट निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

–वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बरजी पत्नी बजरंग।
2. बद्री पुत्र बजरंग।
3. रूकमा पुत्री बजरंग।
4. मनभर पुत्री बजरंग।
5. सुमित्रा पुत्री बजरंग।
6. बालू पुत्र श्रीलाल।
7. रामदेव पुत्र हरजी।
   समस्त जाति माली निवासीगण माली मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी।

–– प्रतिवादीगण

9. गंगा पत्नी माधू जाति जाट
10. कान्ता पुत्री माधू जाति जाट
11. यशोदा पुत्री रामदयाल जाति जाट
    निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राज.अधि.
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 94/2009 (2009/00250)
निर्णय दिनांकः–2.9.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री अर्जुन सिंह शक्तावत वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है आराजी आराजी कस्बा केकडी के खाता संख्या 5958 के खसरा संख्या 8093 व 8094 कुल रकबा 2.41हैक्टर को वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार केकडी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का नाम उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे व न किसी प्रकार से रहन बेचान, हस्तान्तरित करे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

बीज ____________ मुतालिक ____________ बाबत ____________
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ____________ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ____________ को अदा करे

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2 सितम्बर 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दाअलेह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	-	-	स्टाम्प अर्जी दावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प फरद सबूत			स्टाम्प फरद सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नान			फीस कमिश्नान		
सम्मन इश्तहार मुतफर्रिक			सम्मन इश्तहार मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान	-	-	मीजान	-	-

नोट:- इस खर्चे के [illegible] डिग्री में [illegible] नहीं दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 55/2013 (2016/00115)

1. भूरा(फौत) पुत्र बालू जर्ये वारिसानः–
   1/1.ऊँदी बाई पत्नि श्री भूरा।
   1/2. गोपाल पुत्र श्री भूरा।
   1/3. रामराज पुत्र श्री भूरा।
   1/4. महावीर पुत्र श्री भुरा।
   1/5. हनुमान पुत्र श्री भुरा।
   1/6. संतोष पुत्र श्री भुरा।
   1/7. मंजु पुत्री श्री भुरा।

समस्त जाति दरोगा निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

———वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर, श्री रामसिंह राठौड –वादी अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार – तहसीलदार सावर

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136भू–राजस्व अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.8.2022

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

आराजी खसरा जमाबंन्दी संवत् 2068–71

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1–1	255	1.22	बारानी–3
	किता 1	रकबा 1.22हैक्टर	

विवरण आराजी जमाबन्दी संवत् 2041

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
134	331 मिन	5 बीघा	बारानी 3

वादग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 19.5.1976 को केम्प पारा मे साबिक खसरा नंबर 331 में से रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई व वादग्रस्त आराजी को मौके पर नाप कर वादी को कब्जा संभला दिया गया। वादग्रस्त आराजी को नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 13.5.1993 को वादी का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

काश्तकारी दर्ज हो गया व वादी निरन्तर आराजी को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है व वादी आज भी मौके पर कब्जा काश्त है उक्त आराजी खसरा 331 मिन के नये खसरा नंबर 255 बने जो राजस्व रेकार्ड में सरकार भूमि दर्ज हो गयी जबकि आराजी पर वादी का आवंटन के समय से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है व आज भी मौके पर काबिज है उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लेने हेतु वादी पटवारी हल्का के पास दिनांक 10.3.2013 को राजस्व रेकार्ड की नकल लेने हेतु गया तो नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकार भूमि दर्ज हो गई है जो कतई गलत है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम इन्द्राज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर माल गुजारी कायम किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाना न्यायहित मे है व राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी ने अपने वाद पत्र मे निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर जमाबन्दी बनायी जाकर माल गुजारी कामय किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। **प्रतिवादी** जरिये तहसीलदार सावर ने जवाब पेश किया। जवाब निम्नानुसार है–

1. ग्राम राजपुरा के खसरा नंबर 255 रकबा 1.22हैक्टर किस्म बारानी–3 सिवायचक दर्ज है खसरा नंबर 255 के पुराने खसरा नंबर 331 है।
2. खसरा नंबर 331 मे वादी भुरा पुत्र बालू जाति दरोगा(फौत) को नामा. संख्या 60/15.5.1993 रकबा 5 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त प्राप्त हुआ है।
3. भू–प्रबन्ध से प्राप्त रिकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त में उक्त नामा. का अमल नही हो पाया है जिससे उक्त भूमि आज भी सिवायचक दर्ज है।
4. आज दिनांक को वादी भूरा वल्द बालू(फौत) जाति दरोगा को आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान में खसरा संख्या 255 में वादी के वारिसान द्वारा फसल सरसो काश्त कर रखी है। खसरा नंबर 255 में आंशिक पड़त के अलावा वादी के वारिसान का आवंटित रकबा 0.5बीघा पर कब्जा है।

तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है।

1. आया वादी को वाद ग्रस्त भूमि उसकी आवंटन शुदा आराजी होने से वादी घोषण कराने व रेकार्ड सुधार का हक रखता है (वादी)
2. आया वादी की प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते मे दर्ज है जिससे वादी कब्जा संबंधी दस्तावेजो के अभाव में वाद चलने योग्य नही है। (प्रतिवादी)
3. आया वादी की वादग्रस्त भूमि आवंटन रेकार्ड व कब्जा देने के दस्तावेजात के अभाव मे खारिज होने योग्य है। (प्रतिवादी)
4. अन्य दादरसी

शहादत वादी में वादी में गवाह भुरा पी.डब्ल्यू–1, भोजाराम पी.डब्ल्यू–2, अकायराज सिंह पी.डब्ल्यू–3, रामराज पी.डब्ल्यू–4 ने शपथ पत्र पेश किया। गवाह रामराज के बयान लेखबद्व

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

किया जाकर अपने पक्ष के समर्थन मे जमाबंदी संवत् 2068–71 प्रदर्श–1, वर्किंग जमाबंदी संवत 2041, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी प्रदर्श–4, भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2041 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत् 2064–67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–6, गिरदावरी संवत् 2042–45 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–7, गिरदावरी संवत् 2046–49 तक की सत्यापित प्रति प्रदर्श–8, गिरदावरी सम्वत 2050–53 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–9, गिरदावरी सम्वत 2054–57 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–10, गिरदावरी प्रति संवत 2058–61 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–11, गिरदावरी सम्वत 2060–63 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–12, गिरदावरी सम्वत 2064–67 प्रदर्श–13, गिरदावरी सम्वत 2068–67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–14 उक्त दस्तावेजात अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य पेश किये।

वाकीयात अनुसार निर्णय निम्नानुसार है

1. आया वादी को वाद ग्रस्त भूमि उसकी आवंटन शुदा आराजी होने से वादी घोषण कराने व रेकार्ड सुधार का हक रखता है के प्रश्न मे वादी द्वारा भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श–5 में उक्त आवंटन शुदा आराजी वादी को हुई जिसका नकल जमाबंदी वकिंग संवत 2041 में उक्त आवंटन शूदा आराजी 5 बीघा का नामान्तरंण संख्या 60 दिनांक 13.5.1993 द्वारा का नोट में गैर खातेदार से खातेदार दर्ज हुआ। अतः तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।
2. आया वादी की प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक खाते मे दर्ज है जिससे वादी कब्जा संबंधी दस्तावेजो के अभाव में वाद चलने योग्य नही है के प्रश्न में देखा गया कि अप्रार्थी जये तहसीलदार के मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 में उक्त खसरा नंबर 331 में वादी भूरा पुत्र बालू जाति दरोगा(फौत) के नामा संख्या 60 दिनांक 15.5.1993 रकबा 5 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ है भू–प्रबन्ध से प्राप्त रिकोर्ड मिसल बन्दोबस्त में उक्त नामा. का अमल नही हो पाया जिससे उक्त भूमि सिवायचक दर्ज हुई। उक्त मौका वर्तमान मे खसरा संख्या 255 में आंशिक पड़त के अलावा वादी के वारिसान का आवंटित रकबा 5 बीघा पर कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।
3. आया वादी की वादग्रस्त भूमि आवंटन रेकार्ड व कब्जा देने के दस्तावेजात के अभाव मे खारिज होने योग्य है। के प्रश्न में देखा गया कि उक्त आवंटन शुदा आराजीयात पर वादी(फौत) के वारिसान का कब्जा रहा है अप्रार्थी की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है व उक्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेकार्ड वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2068–71 प्रदर्श–1, वर्किंग जमाबंदी संवत 2041, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी प्रदर्श–4, भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2041 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–6, जमाबंदी संवत् 2064–67 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–6, गिरदावरी संवत् 2042–45 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–7, गिरदावरी संवत् 2046–49 तक की सत्यापित प्रति प्रदर्श–8, गिरदावरी सम्वत 2050–53 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–9, गिरदावरी सम्वत 2054–57 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–10, गिरदावरी प्रति संवत 2058–61 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–11, गिरदावरी सम्वत 2060–63 की सत्यापित प्रति प्रदर्श–12, गिरदावरी सम्वत 2064–67 प्रदर्श–13, गिरदावरी सम्वत 2068–67 की सत्यापित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रदर्श–14 व तहसीलदार केकडी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 से स्पष्ट है कि उक्त आवंटन शुदा आराजी वादी की है व उक्त आराजी पर वादी का हि कब्जा काश्त है अतः तनकी संख्या–3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

–:निर्णयः–

तनकीयात 1, 2, 3 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाने से वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर आराजी ग्राम राजपुरा तहसील सावर के खाता संख्या 134 (वर्तमान नया–पुराना 1–1) खसरा संख्या 331 मिन (वर्तमान नया खसरा 255) रकबा 5 बीघा वादी की आवंटन शुदा होने से वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जावे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. भूरा(फौत) पुत्र बालू जर्ये वारिसानः—
   1/1.ऊँदी बाई पत्नि श्री भूरा।
   1/2. गोपाल पुत्र श्री भूरा।
   1/3. रामराज पुत्र श्री भूरा।
   1/4. महावीर पुत्र श्री भुरा।
   1/5. हनुमान पुत्र श्री भुरा।
   1/6. संतोष पुत्र श्री भुरा।
   1/7. मंजु पुत्री श्री भुरा।

समस्त जाति दरोगा निवासीगण राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

———वादी

♠ बनाम ♠

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

वाद पत्रः— <u>अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 55/2013 (2016/00115)
निर्णय दिनांकः—22.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री शिवप्रसाद पाराशर व श्री रामसिंह राठौड वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है आराजी ग्राम ग्राम राजपुरा तहसील सावर के खाता संख्या 134(वर्तमान नया—पुराना 1—1) खसरा संख्या 331 मिन (वर्तमान नया खसरा 225) रकबा 5 बीघा वादी की आवंटन शुदा होने से वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज किया जावे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्...............................

खर्चा ..... मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 अगस्त 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुददई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान.	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर.	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			वावत इजराय हुक्मनामा	....	———	———
मुतफरिक	....	———	———	मुतफरिक	....		
मीजान		0	0	मीजान		0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner